

परिशिष्ट

## (देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

## भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परिशोक्तना विवरण :-

1.
 

<p>क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।</p>	<p>जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत कुमोली (कर्णधार) से बमोली मयकोटी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।</p>
<p>ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।</p>	<p>संलग्न है।</p>
<p>ग) परियोजना की लागत।</p>	<p>स्वीकृत लागत = ₹ 50.40 लाख मात्र।</p>
<p>घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।</p>	<p>प्रस्तावित मार्ग द्वारा वन क्षेत्र होते हुए ही सम्बन्धित मार्गों को जोड़ने हेतु एक मात्र विकल्प है।</p>
<p>ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)</p>	<p>संलग्न है।</p>
<p>च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।</p>	<p>0.001 लाख मानव दिवस।</p>
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:
 

	0.0000 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि।
	0.5950 हैक्टेयर सिविल वन भूमि।
	0.0000 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि
	1.7150 हैक्टेयर निजी/नाप भूमि
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
 

क) परिवारों की संख्या	- शून्य
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	- शून्य
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	- शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही) हां
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। संलग्न है।

दिनांक 28/09/11  
स्थान -रुद्रप्रयाग

(ई० इन्द्रजीत बोस)  
अधीषासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो० नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)